न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :– गुंजन सिंह, आई.ए.एस.

मैनुअल प्र.सं. : 28 / 2022

जीसीएमएस : 2022 / 419

1. भोमाराम पुत्र तेजा राम जाति मेघवाल निवासी 25 पीटीडी तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर राज0

– प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर
2. जीतराम पुत्र भोमाराम जाति मेघवाल निवासी 25 पीटीडी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0

–अप्रार्थीगण

अन्तर्गत धारा 251क(1) आर.टी.एक्ट

उपस्थिति :–

1. श्री सतपाल बिश्नोई, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री धर्मवीर बिश्नोई, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2
3. राजपैरोकार

–: निर्णय :–

दिनांक : 21.12.2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि –

1. प्रार्थी ने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 28 पीटीडी तहसील रायसिंहनगर के खाता सं. 35 में दर्ज अनुसार मु.नं. 27 की 4.730है.(अ.क.1.929है. कमाण्ड 2.801है.)खातेदारी भूमि में प्रार्थी का 69 / 86 हिस्सा यानि 3.795है. व अप्रार्थी सं. 2 जीतराम का 17 / 86 हिस्सा यानि 0.935है. हक एवं हिस्सा की खातेदारी भूमि हैं। भूमि भारत–पाक सीमा के नजदीक है जिसमें बीएसएफ द्वारा सुरक्षा कारणों से तारबंदी कर रखी हैं। तारबंदी से पार रकबा में आवापाशी हेतु प्रार्थी कि.नं. 6 या 5 में स्थित तारबंदी के नीचे से भूमिगत 12 इन्ची प्लास्टिक पाईप लाईन दबाने की स्वीकृति प्रदान करने हेतु निवेदन किया।
2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया एवं तहसीलदार रायसिंहनगर से मौका जांच रिपोर्ट ली गयी। अप्रार्थी सं. 2 जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र की मदों को स्वीकार करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने हेतु निवेदन किया।
3. तहसीलदार रायसिंहनगर की रिपोर्ट क्रमांक / राजस्व / 2022 / 2153 दिनांक 01.12.2022 प्राप्त हुई। मुताबिक रिपोर्ट प्रार्थी भोमाराम अपनी हिस्से की खातेदारी भूतिम में सिंचाई सुविधा हेतु भारत–पाक सीमा के साथ स्थित बीएसएफ द्वारा सुरक्षा हेतु लगाई गयी तारबंदी के नीचे से प्लास्टिक की पाईप–लाईन दबाकर सिंचाई सुविधा प्राप्त करना चाहता हैं। मौके पर उक्त काश्तकारान के रकबे में सिंचाई हेतु कोई खाला रिकार्ड दर्ज नहीं होने के कारण सिंचाई सुविधा में परेशानी होती हैं। सुरक्षा की दृष्टि एवं काश्तकारों की सिंचाई सुविधा को ध्यान में रखते हुए बीएसएफ से नियमानुसार पाईप लाईन डालने की अनुमति ली जाकर उक्त भूमि के कि.नं. 5–6 के मध्य पाईप लाईन डालने की अनुमति दी जानी उचित प्रतीत होती हैं।
4. बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी। वकील उभयपक्ष ने निवेदन किया कि भूमि उनकी खातेदारी हैं, जो कि तारबंदी के पार स्थित हैं, बीएसएफ से अनुमति प्राप्त की गयी हैं, इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पाईप लाईन डालने की अनुमति प्रदान करने हेतु निवेदन किया।
5. पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि में पाईप लाईन डालने की अनुमति देने हेतु निवेदन किया हैं। स्वयं की खातेदारी भूमि में

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Gunjan Singh
Date: 2022.12.27 13:33:55 IST
Reason: SelfAttested